(18)

संख्या–563/XVI-2/ 2012/7(30)/2012

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंकरण, उत्तराखण्ड,
उद्यान भवन, चौबटिया–रानीखेत।

उद्यान एवं रेशम अनुभागः–2 देहरादूनः दिनांकः 31 अक्टूबर, 2012

विषयः–वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक लेखानुदान संख्या–29, के आयोजनागत पक्ष की योजनान्तर्गत 09–जडी–बूटी शोध संस्थान को अनुदान मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–426 / 1–1(64) / 2012–13दिनांक 20 अक्टूबर, 2012 एवं वित्त अनुभाग–1 के पत्र संख्या–321/XXVII(1)/2012,दिनांक 19 जून, 2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–29 (राज्य सैक्टर) की आयोजनागत पक्ष की योजना 09–जडी–बूटी शोध संस्थान को अनुदान के अन्तर्गत सम्पूर्ण रूप से प्राविधानित बजट ₹30000 हजार के सापेक्ष अवशेष धनराशि ₹200.00 लाख (₹दो करोड मात्र) संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तानुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2– इस धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है एवं धनराशि का आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

3– किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2008 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम) आय व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा,तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर / साफ्टवेयर का क्रय सूचना प्रौद्योगिकी (I.T.) विभाग के शासनादेशों / दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

4– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5– व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है, साथ ही किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा।

6– व्यय की सूचना प्रपत्र बी0एम0–13 पर प्रत्येक माह की 20 तारीख तक वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय तथा धनराशि का आहरण / व्यय एकमुश्त न करके आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

7– योजनावार स्वीकृत धनराशि का व्यय सम्बन्धित योजना के संगत दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही की जायेगी। किसी भी दशा में संगत दिशा–निर्देशों से इतर कार्यवाही नहीं की जायेगी।

8– स्वीकृत की जा रही धनराशि निदेशक, जडी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान, चमोली गोपेश्वर, राज्य औषधीय पादप बोर्ड, देहरादून एवं संगन्ध पौधा केन्द्र सेलाकुई देहरादून को उनकी मांग/आश्यकता के अनुसार उपलब्ध कराई जाय। निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि मे यदि वार्षिक योजना पर अनुमोदन के उपरान्त परिव्यय में संशोधन होता है, तो तद्नुसार ही व्यय मान्य होगा।

9– उक्त व्यय करते समय वित्त अनुभाग–1,उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–321/ X XVII(1)/2012,दिनांक 19 जून, 2012 में दिये गये दिशा–निर्देशों तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों एवं बजट मैनुअल के सुसंगत नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

10– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 लेखानुदान के अन्तर्गत अनुदान संख्या–29 के अन्तर्गत **संलग्न विवरण** में अंकित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

11– यह आदेश वित्त विभाग के शा0 पत्र संख्या–193/XXVII(1)/2012,दिनांक–30 मार्च, 2012 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

संख्या–563(1)/XVI-2/12/7 (30)/2012 ,तददिनांकः

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिग माजरा, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी, चमोली उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, जडी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान, चमोली गोपेश्वर।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, चमोली/अल्मोड़ा रानीखेत उत्तराखण्ड।
6. वित्त अनुभाग–4/नियोजन अनुभाग,उत्तराखण्ड शासन।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय/राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
8. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कवीन्द्र सिंह)
अनु सचिव।